

विकलांगजनों का सामाजिक समावेशन: मुद्दे और रणनीतियां

संध्या लिमये



विकलांगजनों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है कि निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाया, जिसमें हम विकलांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समोवशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और समर्थन दें

सामाजिक समावेश, जो कि सामाजिक बहिष्कार के विपरीत है यह उन परिस्थितियों और आदतों को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सामाजिक बहिष्कार का नेतृत्व करते हैं अथवा जिन्होंने पहले ऐसा किया है। विश्व बैंक सामाजिक समावेश को पहचान के आधार पर वंचित लोगों के लिए सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनकी क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।

वैश्विक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का समूह सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक है, जो उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रहा है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्यादातर देशों ने विकलांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों को कुछ विशेष सहायता प्रदान किए हैं। इसके तहत मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के माध्यम से उनके लिए दान और संस्थागत देखभाल से लेकर उपचार और पुनर्वास तक की व्यवस्था की गई है। भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़ी संख्या में हाशिए पर खड़े इस जनसमूह के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और विकलांग लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं।

विकलांगजनों को व्यवहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक समावेशन प्रभावित होता है। विकलांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखने की प्रवृत्ति से विकलांग लोगों के प्रति

समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख दिखाई देता है। समाज में यह धारणा है कि व्यक्ति में विकलांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती है, चूंकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है।

इन बाधाओं का संचयी प्रभाव यह है कि विकलांगजन समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर होकर हाशिए पर हैं। वे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में गैर-विकलांग लोगों की तुलना अधिक नुकसान का अनुभव करते हैं। कई विकलांग लोगों द्वारा प्रतिकूल परिणाम झेलने की वजह से उनके स्वयं और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। उनमें से कई स्वयं को अलग-थलग और अवांछित महसूस करते हैं, जबकि समाज उन्हें अपने ऊपर बोझ महसूस करता है। विकलांगों के माता-पिता, बच्चों और भाई-बहन को भी इस नकारात्मक दृष्टिकोण, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दर्श झेलना पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि जब उन्हें स्वयं की सहायता के लिए जरूरी समर्थन दिए जाने की जरूरत होती है, तब वे अपना अधिकतम समय समाज से जूझने में व्यतीत कर रहे होते हैं।

हाशिए पर होने का मूल अर्थ है व्यक्तिगत, अंतर्व्यक्तिगत व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा जाना। जाहिर है, सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिए पर होने के कई आधार हैं। विकलांगता के कारण एकाधिक नुकसानों को झेलने वाले इन समूहों की समस्याओं को लैंगिक अंतर की कसौटी

लेखिका सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (मुंबई) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने विकलांगता विषय पर पुस्तकें लिखी हैं और रॉकफेलर तथा फुलब्राइट फेलोशिप जैसी कई शोधवृत्तियों के तहत काम कर चुकी हैं। ईमेल: slimaye@tiss.edu, sandhyalimaye@yahoo.co.in, limaye.sandhy@gmail.com

पर जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि और जैसे अन्य सामाजिक कारकों के सापेक्ष समझा जा सकता है। विकलांगता और लैंगिक वर्ग दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं लेकिन इनके

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा विकलांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक संबंधों की स्थापना के लिए अवसरों से वंचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

आधार पर खासवर्ग की उपेक्षा की जाती है। पुरुषों के मध्य विकलांग उसे समझा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की परिभाषा के अनुरूप शक्ति, शारीरिक क्षमता और स्वायत्तता को पूरा करने में विफल रहा है। इसी तरह ऐसी धारणा बनी हुई है कि एक विकलांग महिला गृहिणी, पत्नी और मां की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है और शारीरिक उपस्थिति के संदर्भ में सौंदर्य और नारीत्व के स्थापित मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। ये ही सबसे अधिक हाशिए पर हैं और शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सबसे अधिक प्रताड़ित हैं और सदियों के लिए, उपेक्षा, मौखिक, शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का शिकार बने हुए हैं।

प्राथमिक शिक्षा के दौरान प्रायः साझा हितों, स्कूल की गतिविधियों और खेल के माध्यम से दोस्ती होती है। सामान्य रूप से कई विकलांग बच्चे आमतौर पर साथियों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा कौशल की कमी के कारण होता है। इस तरह की दोस्ती बनाए रखने के लिए संचार अपरिहार्य है। इसमें संचार की कला सीखने और संबंध बनाने के कौशल शामिल हैं, जिसे बच्चा परिवार जैसे प्राथमिक सामाजिक परिवेश और बाहर निकलने पर संबंधियों और दोस्तों जैसे अन्य सामाजिक परिवेश में संवाद के जरिए सीखता है।

व्यवहार की सामाजिक प्रकृति बचपन में ही तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी सामाजिक अनुभव बच्चे के वयस्क होने पर उसके व्यवहार को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। सुनने में अक्षम और मंदबुद्धि बच्चे अपने आस-पास के लोगों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में अक्षम होते

हैं। नए दोस्त बनाने में पिछड़ जाने से उनके आत्म-सम्मान में कमी आती है और इस तरह अंततः उनका सामाजिक समावेश प्रभावित होता है। अलगाव और बेचैनी में वृद्धि का मूल कारण मुख्यधारा से जुड़ने के लिए संचार में आ रही कठिनाइयों की रुकावट है। वहीं दूसरी ओर, दृश्य और चलने-फिरने की निःशक्तता, उनकी सीमाओं के कारण समाज में काफी स्पष्ट है, इसलिए समाज भी काफी हद तक इन सीमाओं को स्वीकार कर रहा है और इनके प्रति एक रुढ़िवद्धता का एक स्पष्ट रवैया दर्शाता है। अतः, नागरिक समाज को विभिन्न प्रकार की निःशक्तता वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके सामाजिक समावेशन के उपाय तलाशने का अवसर मुहैया करना बेहद महत्वपूर्ण है।

सामाजिक समावेशन की मांगों वास्तव में समाज द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। यह जुल्म और शोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी है। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है।

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा विकलांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक संबंधों की स्थापना के लिए अवसरों से वंचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

बहुत से विकलांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे हैं। वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से कई लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो कि संभावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर केवल उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, तो आशाएं बढ़ जाएंगी। काम करने, कमाने के लिए उन्हें सशक्त किए जाने के बजाए कई विकलांग लोगों को लाभ, सरकार और परिवार के समर्थन पर आश्रित

रहने के लिए छोड़ दिया गया है। कमाने के दिनों में कमजोर आर्थिक परिणामों से उनके बुढ़ापे की भी सही व्यवस्था नहीं हो पाती है, इस प्रकार के नुकसान की स्थिति लंबे समय तक जारी रहने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

अगर शारीरिक बाधाओं की बात करें तो, कई विकलांग लोगों के लिए आसपास का विकलांगता अनुकूल वातावरण जैसे परिवहन व्यवस्था, सुलभ इमारत आदि सुविधा उचित प्रकार से मिल पाना मुश्किल होता है। मुंबई में विकलांग यात्रियों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों का आधारभूत संरचना उनके अनुकूल नहीं है जिससे यात्रा के दौरान वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोगों की भांति ही विकलांग लोगों को भी ट्रेन में सुरक्षित यात्रा करने और रेलवे बोर्ड से उनके शारीरिक विविधता के अनुकूल ट्रेन में सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करने का अधिकार है।

सरकार, अलग-अलग विकलांगता वाले लोगों के लिए उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने संबंधी सरकारी नीतियों को बनाते समय या उन्हें लागू करने के दौरान विकलांग समूहों को न तो तवज्जो देती है, न उनसे मशविरा करती है और न ही उन्हें शामिल करती है। बहुत बार विकलांग लोगों को लगता है कि वे एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहे हैं, जो, खंडित, जटिल और नौकरशाही प्रवृत्ति की है और जिसका विकलांग लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके सामाजिक समावेशन

बहुत से विकलांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे हैं। सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से कई लोगों के पास कोई काम नहीं है, जो कि संभावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर केवल उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, तो आशाएं बढ़ जाएंगी।

से कोई लेना-देना नहीं है। इस राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं से विकलांग लोगों के लिए अलगाव और उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि उनके सामाजिक बहिष्कार के तौर पर सामने आता है।

रणनीतियां

सामाजिक समावेशन की मांगें वास्तव में समाज द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हैं। यह जुल्म और शोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी है। विकलांगजनों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है कि निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय, जिसमें हम विकलांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समोवशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और समर्थन दें।

विकलांगजनों के लिए इन बाधाओं से निपटने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की न होकर सामूहिक रूप से विकलांग लोगों के स्वयं की, नियोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और वस्तु एवं सेवा प्रदाताओं के साथ ही अन्य लोगों की भी है। सभी को अपने स्तर पर विकलांगों के जीवन

को सहज बनाने और उनके समुचित सामाजिक समावेश के लिए कार्य करने की जरूरत है।

इसके लिए ध्यानपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए, पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना चाहिए और इन योजनाओं को दूरदृष्टि के साथ निम्नलिखित को लागू किया जाना चाहिए:

1. विभिन्न प्रकार की विकलांगता, उनकी जरूरतों, उनकी क्षमताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए संवेदीकरण/जागरूकता कार्यक्रम।
2. चिकित्सा पेशेवरों, अध्यापकों, सिविल सेवकों, वकीलों, नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों, स्थानीय समुदाय के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के लिए विकलांगता के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए, विकलांगों के साथ काम करने के दौरान कौशल विकसित करने और विकलांगता और विकलांगों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था।
3. विकलांगों के शक्ति दृष्टिकोण और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने की और उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

4. शिक्षकों के बीएड और एमएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता और शिक्षण के अध्यापन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत है।
5. विकलांग लोगों के लिए विशेषज्ञ और मुख्यधारा की नीति से समर्थित अवसरों तक पहुंच जरूर होनी चाहिए, जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सकें और इससे, चूंकि समाज को उनकी क्षमताओं में विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः ऐसे लोगों का सामाजिक समोवशी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
6. सामान्य नागरिकों के साथ-साथ ही विकलांगों की जरूरतों को भी सभी मुख्यधारा की नीतियों को बनाते समय और उन्हें लागू करते समय शीघ्रता से शामिल किया जाना चाहिए।
7. विकलांगों में सरकार के समर्थन और सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की जरूरत है। उनके साथ समुचित संवाद स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
8. बाधामुक्त और समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारूप अपनाने की जरूरत है। □



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट: publicationsdivision.nic.in

भारत 2016 और इंडिया 2016

की ई-बुक्स
और कुछ अन्य
चुनी हुई पुस्तकें

अब

www.kobo.com

www.play.google.com

पर उपलब्ध

